सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 12, मंगलवार, शाके 1939–जनवरी 02, 2018
Pausa 12, Tuesday, Saka 1939–January 02, 2018

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 02, 2018

संख्या एफ.4(7)संशो/नियम/विधि/पंरा/2017/02 :–राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 167–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण किये जाने के आवेदन के साथ देय फीस निम्नानुसार निर्धारित करती है, अर्थात्:–

(i)	पंचायत द्वारा नियम 157, 158, 159 एवं 162 के अधीन जारी किये गये पट्टों का पुनर्विधिमान्यकरण हेतु	–	100/– रुपये
(ii)	पंचायत द्वारा नियम 157, 158, 159 एवं 162 के अतिरिक्त अन्य नियमों के अधीन जारी किये गये विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण हेतु	–	मूल विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख द्वारा दी गई भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर की राशि का एक प्रतिशत

आज्ञा से,
विष्णु कुमार गोयल,
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।